न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 47/2024 बउनवानी मुकेश चन्द मीना बनाम लोक सूचना अधि.एवं उपजिला कलेक्टर स0मा0
पुत्र श्री हरफूल मीना निवासी ग्राम रावंल, तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2024/120

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
7.11.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 6.8.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *" ग्राम उलियाना व ग्राम श्यामपुरा की मतदाता सूची सन् 1957 से लेकर सन् 1992 तक की एवं ग्राम रावंल की सन् 1985 से लेकर सन् 2013 तक की मतदाता सूची "* दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकःसूकाअ/24/1438 दिनांक 28.10.2024 का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 6.8.2024 मे चाही गयी सूचना के संबंध में अपीलान्ट द्वारा यह अंकित नही किया कि उसके द्वारा किस वार्ड की एवं विधानसभा, लोकसभा, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य,सरपंच, वार्ड पंच चुनाव से संबंधित मतदाता सूची चाही गयी है स्पष्ट विवरण अंकित नही किये जाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर उपजिला कलेक्टर सवईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 1162 दिनांक 27.9.2024 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 6.8.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का पूर्ण ब्योरा अंकित नही होने के कारण सूचना का आवेदन पत्र संबंधित लोक सूचना अधिकारी उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा तत्समय खारिज किया जा चुका है जिसके संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 1162 दिनांक 27.9.2024 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2025.06.25 17:58:12 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner